संपादकीय

बंद ही नहीं, मर भी रहे हैं हमारे गांव

ये तो आप जानते ही होंगे कि एक से 10 जून तक गांव बंद थे। मतलब गांव की उत्पादित वस्तु शहर में बिकने के लिए नहीं जाएंगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं फिर भी गांव बंद पर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहस ने खूब जोर पकडा। ये आंदोलन किसानों के हक में ना जाकर उनके द्वारा गुस्से व क्षोभ में चंद जगहों पर बिखराई सब्जियों व दूध की वजह से आलोचना का शिकार जरूर बना। रवीना टंडन जैसी अभिनेत्री तक ने किसानों को जेल में डालने की बात कहकर अपनी भडास निकाल ली जिसने कभी खुद खेतों में पांव रखकर नहीं देखा होगा। खैर, गांव बंद क्यों जरूरी था और इसका असफल रहना क्या असर डालेगा इस पर चर्चा करने से पहले थोडा इन आंकडों पर नजर डाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश के अन्नदाता की हालत को सुधारने का जिम्मा जिन लोगों पर है वे किस हालात में हैं।

आंकडों के लिहाज से इसे देखें तो देश में 4782 विधायकों पर साल में औसतन 7 अरब पचास करोड रुपये खर्च होते हैं। कुल 790 सांसदों पर सालाना 2 अरब 55 करोड 96 लाख रुपये खर्च होते हैं। राजनीति से निकले तमाम राज्यपालों व उपराज्यपालों पर एक अरब आठ करोड रुपये सालाना खर्च होता है। इस खर्च में प्रधानमंत्री और सभी राज्यों से मुख्यमंत्रियों का खर्च अगर जोड दिया जाए तो ये आंकडा उस स्थिति से मेल नहीं खाएगा जिस बदहाली में देश का किसान जी रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि जनता के हारे हुए नुमाइंदों को भी ताउम्र पेंशन देने वाला हमारा देश किसान की स्थिति को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है, हां, ट्वीटर पर नेता जरूर किसान हितैषी बनकर दिखाते हैं लेकिन सत्ता हाथ में आते ही सबकुछ भूल जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जरूर किसानों के दबाव में रहती हैं लेकिन बडी मछली छोटी को खाती है कि तर्ज पर देश की दोनों बडी पार्टियां मजबूरी में ही केवल इनसे नाता रख रही हैं और हर तरह से प्रयास है कि इन्हें खत्म कर दिया जाए।

खैर हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। देश के नेताओं की हालत का तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा अब जरा किसान की हालत पर भी गौर किजिए। इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं हैं। देश की 125 करोड से भी ज्यादा आबादी के लिए गेहूं व धान की पैदावार हमें अहम योगदान देने वाले हमारे प्रदेश के किसान भी बुरी हालत में हैं। अगर आंकडों की ही बात करें तो हरियाणा के किसानों पर 31 मार्च, 2017 तक 46041 करोड़ रुपये कृषि कर्ज था, गत 31 मार्च को इस कर्ज में से 4262 करोड़ रुपये की राशि एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट्स) यानी इतनी राशि अब आने की उम्मीद नहीं है। हरियाणा के 15,01,810 किसानों ने 49,429 करोड़ रुपये का कर्ज ले रखा है। इनमें से 1, 51,696 किसान कर्ज नहीं लौटा पा रहे है। ये आंकडों दिखाते हैं कि हरियाणा जैसा राज्य जो प्रति व्यक्ति आय में देश के चोटी के राज्यों में शुमार है वहां के किसान कर्ज लेकर चुकता कर पानी की स्थिति में नहीं हैं। इसके साथ ही बिजली के बिलों की डिफाल्टर पर रिसर्च हो तो सामने आएगा कि किसान अपने बच्चों की फीस, बिजली के बिल से जैसे सामान्य खर्चों को भी समय पर चुकता करने की स्थिति में नहीं हैं। किसान की बेटी की शादी हो या घर बनाना हो, हर जगह वह कर्ज के दलदल में धंसता ही जा रहा है। रही सही कसर जमीन का अधिग्रहण कर उसे मजदूर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सरकार चाहे कोई भी हो किसान की आय को दोगुना करने के वादे बहुत सालों से चलते आ रहे हैं लेकिन हकीकत में अभी तक कोई योजना किसान की दशा में रत्ती भर का भी फर्क पैदा नहीं कर पाई है। अब किसान के घर में दो मत हैं। एक किसान है जिसने ताउम्र खेती में अपने हाड गलाए हैं तो दूसरा उसकी संतान है जिसे पता है कि खेती से उसकी दशा बदलनी नहीं है। एक एक करके वो किसानी से खुद को अलग कर रहे और शहरों में छोटे मोटे मजदूरीनुमा कामों से घर का पोषण करने को मजबूर हैं। अधिकतर गांवों में चाहे किसान एक एकड का मालिक हो या पांच एकड का हो, उसकी दशा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलता है। कर्ज से सब्जबाग में जो किसान फंसे उन्होंने कोठियां जरूर बना ली है लेकिन हकीकत में जमीन बैंक के रहन पडी है।

अब बात करते हैं गांव बंद आंदोलन की। ये आंदोलन सोशल मीडिया की देन है और उन कमेरे के पुत्रों ने इसका आहवान किया है जो खेती की असली

दशा को जानते हैं। सोशल मीडिया से भरी हुंकार ने किसान संगठनों को आगे किया और पूरे देश में एक माहौल बना कि किसान की दशा को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। मरे पडे किसान को इसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और ज्यादातर ने अपने उत्पाद शहर में नहीं भेजे लेकिन जो सब्जियों जैसी जरूरत की चीजें कैसी रोकी जा सकती थी और वो भी उस दिशा में जब कर्ज लेकर खेती की गई हो। इसलिए शहराेंं को वो कमी महसूस नहीं हो पाई जो गांव बंद असलियत में होने पर होनी चाहिए थी। पंजाब और हरियाणा सहित पूरे देशभर में ये आंदोलन अपना आंशिक असर ही दिखा पाया और रही सही कसर एक आध जगह पर सडक पर दूध फेंकने की घटना को आंदोलन की कमर तोडने का भी काम किया।

किसानी से जुडे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि एक उद्योगपति एक पचास पैसे की भी चीज बनाता है तो उसका दाम खुद तय करता है लेकिन देश के किसान का उत्पाद किस भाव पर बिकेगा ये तय करने का अधिकार उसके पास नहीं हैं। मंडी में आढती चंद दाने में मुंह में चबाकर ही बता देता है कि उसमें नमी कितनी है जैसे आढती के मुंह में ही आटोमैटिक मशीन फिट है और किसान को ये माननी ही पडती है। सब्जी मंडी में ढेरी में हाथ डालकर दाम तय होते हैं और किसान बेबसी में देखता रह जाता है। चार लोग आते हैं दाम लगाते हैं और उसी पर बेचना भी पडता है मंडी की फीस अलग से देनी पडती है। खेती में जाेखिम देखिए कि किसान की फसल छः माह में तैयार होती है और उस फसल को तैयार करने के लिए आज भी किसान नंगे पांव जाड़ा, गर्मी, बरसात में खुले आकाश के नीचे रात-दिन परिश्रम करके फसल तैयार कर लेता है। खेतों में रात-दिन कार्य करते समय दुर्भाग्यवश यदि कोई जानवर काट लेता है या कोई दुश्मन उसकी हत्या कर देता है तो ऐसी दशा में उसका कोई बीमा आदि नहीं होता। ऐसे में उनके बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, दिन-रात एक करके देश की सूरत बदलने वाला किसान और उसका परिवार न केवल भूखा सोने को मजबूर होता है बल्कि सदैव के लिए निराश्रित हो जाता है।

बेशक, हमारा देश आज भी कृषि प्रधान है, बावजूद इसके कि शहरीकरण और औद्योगीकरण के चलते खेती का रकबा लगातार घटता जा रहा है। लेकिन

यह हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है कि हमारी कृषि गहरे संकट में फँसी हुई है। सरकार के आंकड़ों से भी इसकी पुष्टि होती है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1997 से लेकर पिछले साल के अंत तक यानी तेरह वर्षों में दो लाख सोलह हजार पाँच सौ किसानों ने आत्महत्या की। सरकार 2013 से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जमा कर रही है। इसके मुताबिक हर साल 12 हजार किसान अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। कर्ज में डूबे और खेती में हो रहे घाटे को किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2015 में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल 12,602 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 8,007 किसान-उत्पादक थे जबकि 4,595 लोग कृषि संबंधी श्रमिक के तौर पर काम कर रहे थे। 2015 में भारत में कुल 1,33,623 आत्महत्याओं में से अपनी जान लेने वाले 9.4 प्रतिशत किसान थे। 2015 में सबसे ज्यादा 4,291 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की जबकि 1,569 आत्महत्याओं के साथ कर्नाटक इस मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तेलंगाना (1400), मध्य प्रदेश (1,290), छत्तीसगढ़ (954), आंध्र प्रदेश (916) और तमिलनाडु (606) का स्थान आता है। 2014 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 12,360 और 2013 में 11,772 थी। जबकि यह अवधि देश में ऊँची विकास दर की रही है।

अब इसका समाधान कैसे निकलेगा ये सवाल भी है। सबसे पहले तो किसान को कर्ज से मुक्ति की जरूरत है तत्काल। किसानों को ऋण दिए जाने की व्यवस्था और सुविधाओं को मजबूत तथा उदार बनाने की आवश्यकता है। समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों को ऋणमुक्त कराने के लिए ऋण माफी की अनेक योजनाएं घोषित की हैं जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लिया गया होता तो किसानों की दुर्दशा शायद कम होती। ऋण माफी से निश्चित रूप से उन किसानों को लाभ हुआ है जो कभी अच्छे ऋण भुगतानकर्ता थे ही नहीं और उनमें यह प्रवृत्ति विकसित हुई कि ऋण की अदायगी करने से कोई लाभ नहीं है। किसी न किसी समय जब सरकार माफ करेगी तो इसका लाभ हमको मिलेगा। साथ ही, ऐसे किसान जो सदैव समय से ऋण अदायगी करते रहे हैं, वे इस ऋण माफी से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे इससे धोखा खाए हैं। इसलिए उनमें भी यह आस्था विकसित

हो रही है कि समय से कर्ज अदा करने से कोई लाभ नहीं है और जब बकायेदार सदस्यों का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। किसान किसी न किसी रूप में लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके आज बकायेदार हैं और बकायेदारों को ऋण न देने की नीति के कारण वह अब इन वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं परंतु जब उसे अपने किसी अन्य कार्य, सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों के निवर्हन हेतु किसी न किसी रूप में धन की आवश्यकता होती है तब वह बाध्य होकर उसी साहूकार के पास ऋण प्राप्ति के लिए जाता है जिससे मुक्ति दिलाने के लिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक सभी प्रयासरत रहे हैं। दादा छोटूराम का सारा जीवन भी किसान को इसी भंवर से निकालने में चला गया।

अंतिम बात ये है कि आंदोलन के चलते गांव बंद रहे हो या नहीं रहे और सवाल ये नहीं हैं। बडा सवाल और हकीकत ये है कि गांव बंद ही नहीं मरणासन्न हैं। एक ना एक दिन ये गांव बंद ही नहीं होंगे मर भी जाएंगे और तब देश की इतनी बडी आबादी का पेट भरने के लिए रातों रात किसान कहां से पैदा होंगे?

सम्मान या अपमान? भंवर में फंसी होनहारों की पुरस्कार राशि

जाट समाज के 11 खिलाडियों ने राष्टमंडल खेलों में जीते पदक,

हरियाणा के कुल 22 पदक,

किसी को भी नहीं मिला है सरकार से अभी तक सम्मान

अप्रैल महीने में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा सभी ने देखा और पूरे देश ने हरियाणा का लोहा माना। इन खेलों में भारत द्वारा जीते गए कुल आठ स्वर्ण पदकों में से छह पदक प्रदेश के खिलाड़ियों ने कब्जाए हैं। हमारे खिलाडियों ने नौ गोल्ड, छह रजत और सात कांस्य समेत 22 पदक जीते, जबकि भारत कुल 25 गोल्ड, 16 रजत और 18 कांस्य जीते। इस बार भारत ने गोल्ड गोस्ट में अपना अब तक सबसे बड़ा 218

खिलाडियों का दल भेजा था इसमें हरियाणा के 37 खिलाड़ी शामिल थे। सफलता को अगर आंकडों और प्रतिशत के नजरिए से देखें तो भारतीय दल में हरियाणा के करीब 17 प्रतिशत खिलाड़ी शामिल थे। गोल्ड कोस्ट में भारत के अब तक 59 पदक हैं। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों के 22 पदक शामिल हैं। यानी शेष भारत के 181 खिलाड़ियों ने 37 पदक जीते और इस तरह 22 प्रतिशत खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे। प्रदेश के 37 खिलाड़ियों में कुल 22 ने पदक जीते हैं और यहां सफलता का प्रतिशत करीब साठ प्रतिशत है। देश अगर पदक तालिका में बड़ी छलांग लगा पाया है तो यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है क्योंकि हमारे खिलाडियों का इसमें बड़ा योगदान है। हरियाणा के 22 पदकों में 11 पदक अकेले जाट समाज के युवाओं ने जीते हैं जो हरियाणा के कुल पदकों का पचास प्रतिशत है। ये भी समाज के लिए गौरव की बात है लेकिन विवाद इसके बाद खडा होता है। जहां सरकार को इन सभी 22 युवाओं को सिर आंखों पर बैठाकर सम्मानित करना चाहिए था वही यह विवाद अब तक खटाई में पडा हुआ है। विवाद की शुरूआत तब हुई जब हरियाणा के प्रदर्शन केा पूरी दुनिया ने देखा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने घोषणा कर दी कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य सरकार डेढ़ करोड़ रुपये पुरस्कार राशि देगी। विज ने कहा, 'राज्य सरकार हर स्वर्ण पदक विजेता को श्रेणी ए, रजत पदक विजेता को श्रेणी बी और कांस्य पदक विजेता को श्रेणी सी वर्ग में नौकरी देगी। इसके बाद सरकार तुरंत ही एक अन्य ऐलान कर दिया कि हरियाणा के उन खिलाडियों को इस पुरस्कार राशि में वो राशि कम करके दी जाएगी जो उन्हें उनके विभाग से मिलेगी।

हरियाणा सरकार की नई खेल नीति में प्रावधान है कि उसी खिलाड़ी को पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, जो हरियाणा का रहने वाला है तथा उसने खेलों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया हो। राज्य में 13 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणा की बजाय रेलवे सहित अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए पदक जीते। सरकार का कहना है कि नियमों के मुताबिक ये खिलाड़ी पुरस्कार राशि के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। लेकिन, खेल मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत के बाद यह प्रावधान करा दिया था कि इन खिलाडिय़ों को एजेंसी से

मिलने वाली राशि की कटौती कर हरियाणा द्वारा दी जाने वाली बाकी राशि प्रदान कर दी जाएगी। बस विवाद यही से खडा हुआ और खिलाडियों ने इसका विरोध जताया। विनेश फौगाट ने तो इस मामले में प्रधानमंत्री को भी ट्वीट कर हसतक्षेप की मांग की और इसके बाद अन्य खिलाडियों ने भी विरोध दर्ज करवाया। एकाएक इस तरह का विरोध होते देख खेल मंत्री और सरकार दबाव में आ गए और सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गयाए जिसके बाद से अभी तक नई तिथि का ही निर्धारण नहीं हो पाया है वहीं नीति को लेकर भी सरकार के मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। यहां तक खेल मंत्री अनिल विज व मुख्यमंत्री के भी एक दूसरे के विरोधाभासी बयान इसको लेकर आए हैं। अब प्रदेश के खिलाडी जो हरियाण के ही है वो सम्मान के लिए नई तिथि और नीति दोनों का इंतजार कर रहे हैं।

खैर, सरकार चाहे सम्मान दे या ना दे, खेलों में हरियाणा का भविष्य उज्जवल है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा के 22 खिलाड़ियों से सबसे कम उम्र के खिलाडी अनीश भनवाला रहे वही सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी संजीव भी 37 ही साल के हैं। आंकड़ों के हिहसाब से इन पदकवीरों की उम्र को देखा जाए तो वह औसत 24 साल बनती है। यानी राष्ट्रमंडल खेलों में युवा हरियाणा की ताकत दुनिया ने देखी है। उम्र के जिस पायदान पर ये खिलाड़ी अभी फिलहाल हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 10 साल खेलों में हरियाणा का यह स्वर्णिम प्रदर्शन इसी तरह जारी रहने की पूरी उम्मीद है।